



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 702

दिनांक: 15/02/2023

## सार्वजनिक सूचना

उक्त भूखण्ड की फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	ए-51	266.66	शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स. समिति की योजना शिक्षा विहार	जितेन्द्र कुमार मीना, हरिश कुमार मीना, नरेश कुमार मीना, आशीष मीना पुत्रान स्व. श्री रमेश चन्द्र मीना	श्री निहाल सिंह पुत्र श्री शिव नारायण जाट	सूची मे नाम नही होने एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर।

उपायुक्त जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

मृतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी-

दिनांक:-

14/02/2023

## सार्वजनिक सूचना

उक्त भूखण्ड की फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	217 पूर्वी भाग	168.88	पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कुसुम विहार	पारूल माथुर पत्नी श्री सुमित माथुर	स.प्रीतम सिंह पुत्र श्री हरबन्स सिंह	समिति द्वारा जारी साईट प्लान एवं सदस्यता रसीद गुम होने बाबत।

उपायुक्त जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}}

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।  
क्रमांक-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2023/डी-

-सार्वजनिक सूचना:-

188

दिनांक-

15/2/23

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	रामप्रसाद यादव/श्यामारायण यादव (श्री लक्ष्मी गू 0 स 0 स 0 ली 0 की योजना-रामनाथपुरी)	3	97.91
2	रामप्रसाद यादव/श्यामारायण यादव (श्री लक्ष्मी गू 0 स 0 स 0 ली 0 की योजना-रामनाथपुरी)	98	244.83
3	रामप्रसाद यादव/श्यामारायण यादव (श्री लक्ष्मी गू 0 स 0 स 0 ली 0 की योजना-रामनाथपुरी)	99	267.91
4	रामप्रसाद यादव/श्यामारायण यादव (श्री लक्ष्मी गू 0 स 0 स 0 ली 0 की योजना-रामनाथपुरी)	100	261.66

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर, जयपुर।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-11  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-460

दिनांक 15-2-23

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	ए-276	श्रीमती कमला गुप्ता पत्नी श्री विष्णु लाल गुप्ता	जविप्रा	सालिगरामपुरा	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
2.	117	श्रीमती कोकल देवी पत्नी श्री रामूलाल जाट	रामराजपुरा गृ.नि.स.स. लि.	गोविन्द विहार-ए	लीजडीड हेतु
3.	118	श्री कैलाश चन्द सैनी पुत्र श्री श्यामा राम सैनी	रामराजपुरा गृ.नि.स.स. लि.	गोविन्द विहार-ए	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
4.	119	श्रीमती नीरज कटारिया पत्नी श्री कैलाश चन्द सैनी	रामराजपुरा गृ.नि.स.स. लि.	गोविन्द विहार-ए	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
5.	221	श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री मदन लाल जाट	रामराजपुरा गृ.नि.स.स. लि.	गोविन्द विहार-ए	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
6.	197	श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री लाल सिंह	हसनपुरा 'ए' गृ.नि.स.स.लि.	श्री कल्याण नगर	लीजडीड हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय स्तर में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 314

दिनांक 14/2/2023

**प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण**

जयपुर क्षेत्र में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मोती भवन गृ.नि.स.स. की योजना हनुमान नगर के भूखण्ड संख्या बी-29 क्षेत्रफल 904.00 वर्ग गज का नाम हस्तान्तरण पत्र क्रमांक: डी- 4480 दिनांक 05.11.2020 श्री विशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री चेतन लाल शर्मा को जारी किया गया था। श्री विशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री चेतन लाल शर्मा द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू- उपयोग मास्टर/जोनल प्लान में दर्शित आवासीय भू- उपयोग के अनुसार आवासीय से मिश्रित भू- उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर- बी-29, दक्षिण दिशा की ओर - भूखण्ड संख्या बी- 32 पूर्वी दिशा की ओर- रोड 80 फीट चौड़ी एवं पश्चिम दिशा की ओर- भूखण्ड संख्या बी-30 स्थित है।

किन्हीं दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त, जोन- 07 को प्रस्तुत कर सकते हैं।


यह विज्ञप्ति आज दिनांक ..... को जारी की गई।

29/2/23  
सचिव

जविप्रा, जयपुर।

**प्रतिलिपि:-**

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें :-



क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 315

दिनांक 14/2/2023

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

जयपुर क्षेत्र में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मोती भवन गृ.नि.स.स. की योजना हनुमान नगर के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या ए-1 व ए- 2 क्षेत्रफल 612.69 वर्ग गज का नाम हस्तान्तरण पत्र क्रमांक: डी- 554 दिनांक 15.03.2022 श्री विशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री चेतन लाल शर्मा एवं श्री चिराग शर्मा पुत्र श्री विशोक कुमार शर्मा को जारी किया गया था। श्री विशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री चेतन लाल शर्मा एवं श्री चिराग शर्मा पुत्र श्री विशोक कुमार शर्मा द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम- 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू- उपयोग मास्टर/जोनल प्लान में दर्शित आवासीय भू- उपयोग के अनुसार आवासीय से मिश्रित भू- उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर- रोड 160 फीट चौड़ी, दक्षिण दिशा की ओर - भूखण्ड संख्या ए- 49, ए- 48, पूर्वी दिशा की ओर- रोड 60 फीट चौड़ी एवं पश्चिम दिशा की ओर- भूखण्ड संख्या ए-3 स्थित है।

किन्हीं दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त, जोन- 07 को प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक ..... को जारी की गई।

24/2/23  
सचिव

जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर  
प्रारूप 13  
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या 319

दिनांक 14/2/2023

संशोधित लोक सूचना

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निजी खातेदारी की योजना- भूरा पटेल नगर-बी के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने के संबंध में जारी लोकसूचना क्रमांक डी-143 दिनांक 18.01.2023 जो की दैनिक समाचार पत्र "समाचार जगत" में दिनांक 19.01.2023 को प्रकाशित करवाई गई थी। उक्त जारी लोक सूचना में सहवन से भूलवंश ग्राम-हीरापुरा के खसरा संख्या 94 रकबा 0.0506 के खातेदार नाथू पुत्र रामू हिस्सा 1/2 जाति- अहीर (यादव) अंकित कर दिया गया था जबकि वास्तविक रूप से नाथू पुत्र रामू हिस्सा सम्पूर्ण है।

अतः पूर्व में जारी लोक सूचना में नाथू पुत्र रामू हिस्सा 1/2 के स्थान पर नाथू पुत्र रामू हिस्सा सम्पूर्ण पढ़ा जावे। उक्त जारी संशोधित लोक सूचना पूर्व जारी लोक सूचना का अभिन्न अंग रहेगी।

अतः प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।


नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार, तहसील-जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जयपुर जोन-07 जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 932

दिनांक 15/1/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-


क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.सं./ गिजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री अमित कुमार सक्सेना पुत्र श्री सतीश कुमार सक्सेना	श्री भगवान दास मोटवानी पुत्र श्री हरीबक्ष राय	बी-131	138.89 वर्ग.	जविप्रा	वैशाली नगर	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा व ऑनलाईन गुणशुद्धी रिपोर्ट

*Sd/-*

उपायुक्त, जोन-7  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि: जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

*Sd/-*  
उपायुक्त, जोन-7  
जविप्रा, जयपुर।  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-323

दिनांक 15/4/2022

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	मू.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती आशा चौधरी पुत्री श्री बलवीर सिंह	श्रीमती नोजों देवी पत्नी श्री बलवीर सिंह	251	183.33 व.ग.	संयुक्त	आफिसर्स कैम्पस विस्तार	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा	जविप्रा पट्टा, पंजीकृत वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर

  
उपायुक्त, जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

**प्रतिलिपि:-** जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन-7  
जविप्रा, जयपुर।

**जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर**  
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर  
प्रारूप 13  
[नियम 13(2) देखिए]

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा  
90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या...333.....

दिनांक 14/2/23

**लोकसूचना**

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण निजी खातेदारी गृ.नि.स.स.लि. की योजना कीर्ति नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
बडारामा तह. जयपुर	301	8.6628	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. गणेश पुत्र सेवा हिस्सा- 1/4 जाति- अहीर (यादव) सा देह खातेदार</li> <li>2. नेहरू गृ.नि.स.स. लि. जयपुर हिस्सा- 11/684 रजि. न. 2764 एल खातेदार</li> <li>3. नानू पुत्र रामदेव हिस्सा- 1/2 जाति- अहीर (यादव) सा देह खातेदार</li> <li>4. विजय कुमार शर्मा पुत्र शंकरलाल शर्मा हिस्सा- 5/171 जाति- अहीर (यादव) सा देह खातेदार</li> <li>5. शंकरलाल शर्मा पुत्र गौरीशंकर शर्मा हिस्सा- 10/171 जाति- अहीर (यादव) सा देह खातेदार</li> <li>6. संजीव कुमार चौधरी पुत्र रणधीर सिंह हिस्सा-10/171 जाति-जाट सा देह खातेदार</li> <li>7. सुनील कुमार शर्मा पुत्र बद्रीप्रसाद हिस्सा- 5/171 जाति- अहीर (यादव) सा देह खातेदार</li> <li>8. सुरेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र चौधरी रामचन्द्र हिस्सा -10/171 जाति- अहीर (यादव) सा देह खातेदार</li> </ol>

उपयुक्त जान-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

**जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर**  
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा  
90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या 335

दिनांक 14/2/2023

**लोकसूचना**

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **शिव शंकर गृ.नि.स.स.लि.** की योजना **श्री राम विहार-जी** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
कनकपुरा तहसील- जयपुर	06	1.6187	1. बन्शी पुत्र गोविन्दराम हिस्सा- 37/128 2. बाबूलाल पुत्र गोविन्दराम हिस्सा- 55/512 3. रामसहाय पुत्र गोविन्दराम हिस्सा- 1/2 4. श्री किशन पुत्र गोविन्दराम हिस्सा- 53/512 सर्वजाति- मीणा सा देह खातेदार
कनकपुरा तहसील- जयपुर	12	2.2131	1. कैलाश चन्द्र पुत्र हनुमान सहाय शर्मा हिस्सा- 1/16 2. गणेश नारायण पुत्र. रामू हिस्सा- 1/20 3. गोपाल पुत्र मांगू हिस्सा- 1/16 4. छोटी पत्नि रव रामू हिस्सा- 1/20 5. जगदीश नारायण पुत्र रामू हिस्सा- 1/20 6. प्रभू पुत्र मांगू हिस्सा- 1/16 7. बद्री पुत्र चौथू हिस्सा- 1/4 8. भौरी लाल पुत्र रामू हिस्सा- 1/20 9. मोहन लाल पुत्र. रामू हिस्सा- 1/20 10. रामनिवास पुत्र रामनारायण हिस्सा- 1/4 11. लिछमीनारायण पुत्र मांगू हिस्सा- 1/16 सर्वजाति- बागडा सा देह खातेदार
कनकपुरा तहसील- जयपुर	16	0.3415	1. बाबूलाल पुत्र गोविन्दराम हिस्सा- 1/4 2. रामसहाय पुत्र गोविन्दराम हिस्सा- 1/2 3. श्री किशन पुत्र गोविन्दराम हिस्सा- 1/4 सर्वजाति- मीणा सा देह खातेदार

**उपस्थित जान-7**

जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं रवायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.जा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापि प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।


नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

sd  
प्राधिकृत अधिकारी एवं  
उपायुक्त  
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आग सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. तहसीलदार जयपुर

sd  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जोन-07 जविप्रा, जयपुर  
उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## आम सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गू.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री शिल्पा खण्डेलवाल पत्नि श्री आशिष खण्डेलवाल	श्री प्रदीप व श्रीमती रानी मित्तल	ए-4	4466.86 वर्गगज	निजी खातेदार	सचिवालय एनक्लेव	लीजडीड हेतु	निजी खातेदार/विकास कर्ता द्वारा जारी कब्जा पत्र को स्वयं के स्तर पर बदलकर/समर्पण करने के आधार पर

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2023/डी-5757

दिनांक 15-2-2023

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दूरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स - +91-141-2574555

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2023/डी-374

दिनांक:- 15/2/23

जनसम्पर्क सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) 1

जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-बरसी, तहसील-बरसी के खसरा नम्बर 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601 की भूमि पर नारायण कॉलोनी विकास समिति द्वारा नियमन हेतु प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत लोक सूचना जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत नारायण कॉलोनी विकास समिति द्वारा खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम-बरसी, तहसील-बरसी के खसरा नम्बर 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601 की भूमि के नियमन की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके संबंध में सुआमोटो की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है।

अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फोट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलंगन:-लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रारूप-13

(नियम 13(2) देखिए)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2022/डी-374

दिनांक:- 15/4/22

**प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत**

**लोक सूचना**

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान्/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा/सहमति पत्र भूमि हस्तान्तरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।


उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 90-क(8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (11) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में सुओमोटो पुनर्ग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (11) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम व तहसील का नाम	सहकारी समिति/विकास समिति का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेयर	स्वामित्व
बस्सी/बस्सी	नारायण कॉलोनी, बस्सी	1593	0.0300	रामनारायण शर्मा पुत्र परसराम शर्मा हिस्सा- पूर्ण जाति- हरियाणाब्राह्मण सा. कालवास तहसील लालसोट खातेदार,
		1594	0.0200	रामजीलाल पुत्र कल्याणसहाय शर्मा हिस्सा- पूर्ण जाति- हरियाणाब्राह्मण निवासी कालवास हाल बस्सी खातेदार,
		1595	0.0400	हरिमोहन गुप्ता पुत्र कल्याणबक्स कामदार हिस्सा- पूर्ण जाति- महाजन सा. देह खातेदार,
		1596	0.0500	उर्मिला शर्मा पत्नि श्यामलाल पोटल्या हिस्सा- पूर्ण जाति- हरियाणाब्राह्मण सा. बस्सी खातेदार,
		1597	0.0400	शीलादेवी पत्नि रामदयाल हिस्सा- पूर्ण जाति- सोनी सा. देह खातेदार,
		1598	0.0100	शंकरलाल पुत्र मन्नालाल हिस्सा- पूर्ण जाति- हरियाणाब्राह्मण सा. देह खातेदार,
		1599	0.0100	1. अशोक मीना पुत्र रामप्रताप मीना हिस्सा- 139/13083 जाति- मीना सा. रतनपुरा फल्यावास तहसील बस्सी खातेदार
		1601	2.1800	2. लालराम पुत्र नारायण हिस्सा- 12944/13083 जाति- हरियाणाब्राह्मण सा. देह खातेदार,
		1600	0.0300	1. जगदीश पुत्र नारायण हिस्सा- 1/2 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
				2. लालराम पुत्र नारायण हिस्सा- 1/2 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार,

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नवि/अभियान/2021/म.मा. जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.09.1999 से पूर्व की कॉलोनीयों में स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-क(8) की कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि हित रखने वाले खातेदार/वारिसान्/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नं पी. बी. टी.एफ-307 पार्किंग भवन, तृतीय मंजिल, जविप्रा, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक 15/4/22 को जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13,  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-373

दिनांक:- 15/12/23

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) मैथिली

जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-हरवर, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 57 रकबा 1.26 हेक्टेयर भूमि की गैर-कृषिक (रिसोर्ट) प्रयोजनार्थ लीजडीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक द्वारा राजस्व ग्राम-हरवर, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 57 रकबा 1.26 हेक्टेयर भूमि की गैर-कृषिक (रिसोर्ट) प्रयोजनार्थ लीजडीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस हेतु संलग्न लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्न:-लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

प्रतिलिपि:-निर्मला जूनेजा पत्नी श्री प्रीतम लाल जूनेजा, निवासी-2/518, काला कुआ, हाउसिंग बोर्ड अलवर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2023/डी-384

दिनांक:- 16/12/23

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीजडीड / फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	35	22.22 वर्गगज	श्रीमती शान्ति देवी	पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति	कैलाश विहार	गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र के आधार पर लीजडीड जारी करने बाबत।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102399

दिनांक: 16/02/2023

लोक सूचना

मैसर्स मजेन्टा प्रोपर्टीज एल.एल.पी. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अश्वनी गुप्ता पुत्र स्व. श्री हरिनारायण अग्रवाल पंजीकृत कार्यालय-6, हनुमान वाटिका द्वितीय, वैशाली नगर, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक(वेयर हाऊस) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	दहमीखुर्द सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स मजेन्टा प्रोपर्टीज एल.एल.पी. पंजीकृत कार्यालय-6, हनुमान वाटिका द्वितीय, वैशाली नगर, जयपुर।	890 / 688	7978	0.7978
कुल					0.7978

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **16-02-2023** को जारी की गयी।

  
**उपायुक्त जोन-11**  
प्राधिकृत अधिकारी (जयपुर-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी -491

दिनांक 16/2/23

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती बसन्त कला डागा पत्नी श्री रजनीश डागा	श्री रजनीश डागा पुत्र श्री मांगी लाल डागा	246	319.62 वर्गगज	निजी खातेदारी	बालाजी एनक्लेव	नाम हस्तांतरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत वसीयत
2.	श्रीमती बसन्त कला डागा पत्नी श्री रजनीश डागा	श्री रजनीश डागा पुत्र श्री मांगी लाल डागा	247	288.88 वर्गगज	निजी खातेदारी	बालाजी एनक्लेव	नाम हस्तांतरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत वसीयत
3.	श्रीमती बसन्त कला डागा पत्नी श्री रजनीश डागा	श्री रजनीश डागा पुत्र श्री मांगी लाल डागा	248	288.88 वर्गगज	निजी खातेदारी	बालाजी एनक्लेव	नाम हस्तांतरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत वसीयत
4.	श्रीमती बसन्त कला डागा पत्नी श्री रजनीश डागा	श्री रजनीश डागा पुत्र श्री मांगी लाल डागा	249	288.88 वर्गगज	निजी खातेदारी	बालाजी एनक्लेव	नाम हस्तांतरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत वसीयत

  
उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

  
उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-493

दिनांक 16/2/23

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स. /निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती निर्मला देवी जैन पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जैन	दिनेश अग्रवाल एचयूएफ कर्ता श्री दिनेश अग्रवाल पुत्र श्री प्रहलाद अग्रवाल	S-608	18 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परसा	लीजडीड	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र
2.	श्री राजेश उर्फ भोलूराम चौधरी पुत्र स्व. श्री कैलाश उर्फ गल्लू	श्री गल्लू पुत्र श्री गौपी	51-C	183.15 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परसा	नाम हस्तांतरण व लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र, शपथ पत्र
3.	श्री राजेश उर्फ भोलूराम चौधरी पुत्र स्व. श्री कैलाश उर्फ गल्लू	श्री गल्लू पुत्र श्री गौपी	892	72 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परसा	नाम हस्तांतरण व लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र, शपथ पत्र
4.	श्री अमित अग्रवाल पुत्र श्री बनवारी लाल अग्रवाल	श्रीमती दुलारी देवी पत्नी श्री बनवारी लाल अग्रवाल	बी-84	90 वर्गमीटर	जविप्रा	अनुपम विहार	नाम हस्तांतरण	मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र एवं हक त्याग के आधार पर

प्रतिलिपि: - जन संपर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

  
उपायुक्त, जयपुर-11  
जविप्रा, जयपुर

  
उपायुक्त, जयपुर-11  
जविप्रा, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-492

दिनांक 6/2/23

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटनी का नाम	मूखण्ड संख्या	मूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	सुबेदार हरफूल सिंह एवं श्री छोटू राम धीवा पुत्रान श्री सुरजा राम	श्री फूलचन्द योगी पुत्र श्री हनुमान नाथ योगी	812	240 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परसा	लीजडीड	नाम प्रतिस्थापन पत्र
2.	सुबेदार श्री हरफूल सिंह पुत्र श्री सूरजाराम धीवा	श्री फूलचंद पुत्र श्री रामचन्द्र	S-389	27 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परसा	लीजडीड	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र
3.	श्री. बनवारी लाल पुत्र श्री सुरजा राम	श्री हनुमान, हरफूल पुत्रान श्री रामदेव	S-416	90 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम टीलावास	लीजडीड	नाम प्रतिस्थापन पत्र
4.	श्रीमती कमलेश शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा एवं श्रीमती रजनी गुप्ता पत्नी श्री सुधीर कुमार गुप्ता	मैसर्स राधेश्याम टाउनशिप एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री कौरचंद गुप्ता	968	600 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम टीलावास	लीजडीड	नाम प्रतिस्थापन पत्र

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन-11,  
जविप्रा, जयपुर-11  
ज.वि.प्रा., जयपुर

उपायुक्त जोन-11,  
जविप्रा, जयपुर-11  
ज.वि.प्रा., जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक- जविप्रा/उपा./जोन-12/23/डी- 5769

दिनांक 16-2-2023

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),  
जविप्रा, जयपुर।

विषय:-90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (सुओमोटो) की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र में प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

  
प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-5769

दिनांक 16.2.23

## लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण भैरव/बदनपुरा (फकीरो की डूंगरी) गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना बजरंग विहार-तृतीय के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	कय रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम नींदड तहसील आभेर	3006	0.2100	0.0350	नान्छी लाल पुत्र सेडा जाति कुमावत हिस्सा 1/6 सा. देह खातेदार।
	3008	0.5200	0.3467	कजोड पुत्र बला हिस्सा 1/6 भगवान सहाय पुत्र बला हिस्सा 1/6 मु. विमला पत्नि बला हिस्सा 1/6 नान्छीलाल पुत्र सेडा हिस्सा 1/6 जाति कुमावत सा. देह खातेदार।
	3021	0.4600	0.2433	नान्छीलाल पुत्र सेडूराम हिस्सा 1/3 नानूराम पुत्र सेडूराम हिस्से 1/3 में से 0.0900 हैक्टेयर जाति कुम्हार सा.देह खातेदार।
	3026	0.5000	0.1667	नान्छीलाल पुत्र सेडूराम हिस्सा 1/3 जाति कुम्हार सा.देह खातेदार।
	2936	0.4400	0.4400	भैरुराम पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 मूलचन्द पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार।
	2933/1	0.0300	0.0300	सत्यनारायण पुत्र झूथाराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार(प्रजापति) सा. चीथावाडी तहसील चौमू खातेदार।
	2933/2	0.1200	0.0720	उमराव पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5 कैलाश पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5
	2933/4	0.3500	0.2100	राधेश्याम पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार।
कुल किता	8	2.6300	1.5437	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 16.2.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण-12

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-08  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102375

दिनांक: 13/02/2023

लोक सूचना

- श्री ABHISHEK KUMAWAT पुत्र श्री LAL CHAND KUMAWAT जाति KUMAWAT निवासी KUMAWATON KI DHANI SANGANER JAIPUR
- श्री AKSHAY KUMAWAT पुत्र श्री BABULAL KUMAWAT जाति KUMAWAT निवासी SIROHIYO KI DHANI, SANGANER JAIPUR
- श्रीमति BHANWARI DEVI पत्नी श्री MOTI LAL जाति KUMAWAT निवासी BHOPA JI KI TALAI SANGANER JAIPUR
- श्री BHEEM SINGH पुत्र श्री MOTI LAL जाति KUMAWAT निवासी 57, BHOPA KI TALAI, SANGANER JAIPUR
- श्रीमति CHANDA DEVI पत्नी श्री KUNJ BIHARI जाति KUMAWAT निवासी DHANI KUMAWATAN DIGGI MALPURA ROAD KE PASS, SANGANER JAIPUR
- श्री DHAN KUMAR KUMAWAT पुत्र श्री RAM CHANDRA KUMAWAT जाति KUMAWAT निवासी 57, KUMAWATO KI DHANI SANGANER JAIPUR
- श्री JUGAL KISHOR पुत्र श्री KUNJ BIHARI जाति KUMAWAT निवासी 57, SIROHIYA KI DHANI WARD NO 23 SANGANER, JAIPUR
- श्रीमति LALITA DEVI पत्नी श्री BABU LAL KUMAWAT जाति KUMAWAT निवासी 57, BHOPA KI TALAI, SANGANER JAIPUR
- श्री MAHAVEER KUMAWAT पुत्र श्री TULSI KUMAWAT जाति KUMAWAT निवासी BHOPA KI TALAI DHANI KUMAWATAN SANGANER JAIPUR
- श्री MANOJ KUMAWAT पुत्र श्री MOTILAL जाति KUMAWAT निवासी 57, BHOPAJI KI TALAI, SANGANER JAIPUR
- श्री NAND KISHOR KUMAWAT पुत्र श्री RAM CHAND KUMAWAT जाति KUMAWAT निवासी KUMAWATO KI DHANI, SANGANER BAZAR JAIPUR
- श्रीमति NIRMALA पत्नी श्री LAL CHAND जाति KUMAWAT निवासी 57, KUMAWATO KI DHANI, SANGANER BAZAR JAIPUR
- श्रीमति PREM DEVI पत्नी श्री TULSI RAM KUMAWAT जाति KUMAWAT निवासी BHOP KI TALAI, DHANI KUMAWATAN, SANGANER JAIPUR
- श्री SATISH KUMAR KUMAWAT पुत्र श्री KUNJ BIHARI जाति KUMAWAT निवासी 6-7, MALPURA GATE KE ANDER, MAIN BAZAR, SANGANER JAIPUR
- श्री VIVEK KUMAWAT पुत्र श्री BABU LAL जाति KUMAWAT निवासी 57, SIROHIYO KI DHANI, SANGANER JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सांगानेर कस्बा, सांगानेर (जयपुर)	AKSHAY KUMAWAT, ABHISHEK KUMAWAT, CHANDA	1895	5000	0.5

		DEVI, JUGAL KISHOR, DHAN KUMAR KUMAWAT, NAND KISHOR KUMAWAT, NIRMALA, PREM DEVI, BHANWARI DEVI, BHEEM SINGH, MANOJ KUMAWAT, MAHAVEER KUMAWAT, LALITA DEVI, VIVEK KUMAWAT, SATISH KUMAR KUMAWAT VIVEK KUMAWAT				
					कुल	0.5

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 13-02-2023 को जारी की गयी।

उपायुक्त एवं प्रा. कृत अधिकारी,  
प्राधिकृत अधिकारी जॉन-08  
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण

५५३

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-08  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102385

दिनांक: 13/02/2023

लोक सूचना

श्री GEETA CHETI WAL पत्नी श्री DHARM SINGH CHETI WAL जाति KHATIK निवासी JAIPUR  
श्री REENA MITTAL पत्नी श्री DINESH CHAND MITTAL जाति MAHAJAN निवासी JAIPUR  
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति  
अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-


क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	GEETA CHETI WAL, REENA MITTAL	365/350	25	0.0025
2.	रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	GEETA CHETI WAL, REENA MITTAL	370/367	579	0.0579
				कुल	0.0604

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 13-02-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-08  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
13/2



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


## आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा आवासीय लीजडीड/फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	लीजधारक/मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती रेवती देवी	श्रीमती रेवती देवी	बी-07	150 वर्ग गज	मित्र गृ.नि.स.स.	कृष्णा विहार-बी एण्ड डी	फ्री होल्ड पट्टा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, शपथ पत्र आदि।
2	श्रीमती शकुन्तला देवी	श्रीमती शकुन्तला देवी	बी-09	200 वर्ग गज	मित्र गृ.नि.स.स.	कृष्णा विहार-बी एण्ड डी	फ्री होल्ड पट्टा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, शपथ पत्र आदि।
3	श्रीमती बल्लू कंवर	श्रीमती अंजलि यादव	114	89.44 वर्ग गज	खोरामीणा गृ.नि.स.स.	तीजा नगर विस्तार	फ्री होल्ड पट्टा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, शपथ पत्र एवं पंजीकृत विक्रय पत्र आदि।
4	मैसर्स कमलदीप एण्ड सन्स जंरिये प्रो० श्रीमती कमला देवी	श्री दयाल सिंह राजपूत	58	216.6 वर्ग गज	श्री गणपति गृ.नि.स.स.	गणेश नगर (करधनी)	फ्री होल्ड पट्टा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, शपथ पत्र, अपंजीकृत मुखत्यारआम एवं पंजीकृत विक्रय पत्र आदि।
5	श्री राज सिंह	श्री राज सिंह	04	166.66 वर्ग गज	श्री महावीर स्वामी गृ. नि.स.स.	शेखावत कॉलोनी	फ्री होल्ड पट्टा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, शपथ पत्र आदि।
6	श्रीमती गीता कंवर	श्रीमती गीता कंवर	97	125 वर्ग गज	श्री महावीर स्वामी गृ. नि.स.स.	शेखावत कॉलोनी	फ्री होल्ड पट्टा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, शपथ पत्र आदि।

3

सूचना क्र. 7



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

7	श्रीमती घीसा देवी	श्री कन्हैया लाल	डी-18-ए	192 वर्ग गज	गुलाबबाडी गृ.नि.स.स.	कृष्णापुरी राकडी	फ्री होल्ड पट्टा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, शपथ पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा आदि।
8	श्रीमती सुमन राठौड़	श्रीमती चन्द्रीका शर्मा	30	112:50 वर्ग गज	श्री गणपति गृ.नि.स.स.	गणेश नगर (करधनी)	फ्री होल्ड पट्टा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, शपथ पत्र, अपंजीकृत मुखत्यारआम एवं पंजीकृत विक्रय पत्र आदि।
9	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	बी-177	400 वर्ग गज	इन्द्रा गृ.नि.स.स.	नित्यानन्द नगर-बी एण्ड सी	फ्री होल्ड पट्टा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, शपथ पत्र आदि।


उक्त दस्तावेजात् के आधार पर उक्त भूखण्डों का पट्टा आवेदको के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जान-7  
उपायुक्त प्रो. प्राधिकरण  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2023/डी-342

दिनांक :- 16/11/2023



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-341

दिनांक 16/1/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	मू.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दरतावेज
1	श्रीमती शीमा अरोड़ा पत्नी श्री मुरली मनोहर अरोड़ा	श्री मुरली मनोहर अरोड़ा पुत्र श्री तेज बहादुर अरोड़ा	बी-4/9	270 व. मी.	जविप्रा	चित्रकूट	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत हक त्याग पत्र अपंजीकृत मुख्तयारनामाखास

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7  
जविप्रा, जयपुर।

इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर  
प्रारूप 13  
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा  
90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या.....350

दिनांक 16/2/2023

**लोकसूचना**

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण नवभारत गु.नि.स.स. की योजना विक्रम विहार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृष्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
बडारामा तह. जयपुर	304	0.2782	1. नानू पुत्र रामदेव हिस्सा-पूर्ण जाति-अहीर (यादव) सा देह खातेदार
बडारामा तह. जयपुर	305	1.1129	2. नानू पुत्र रामदेव हिस्सा-पूर्ण जाति-अहीर (यादव) सा देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अधोहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।
2. तहसीलदार जयपुर

उपायुक्त अधिकारी एवं उपायुक्त  
जयपुरजोन-07 जविप्रा, जयपुर  
जयपुर

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**  
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर  
प्रारूप 13  
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-344

दिनांक 16/11/2023

**लोक सूचना**

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि का उसके भाग का 31.12.2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपके सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **सूरजपोल गेट गृ. नि.स.स.** की योजना **रतन नगर** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यो नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं संपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम बडारामा तहसील जयपुर	280/319	3.2628	लादूराम पुत्र घासीराम जाति अहीर सा.देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/ग.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पीबी-एसएफ-218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।


नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।
2. तहसीलदार, जयपुर जिला जयपुर।

  
उपायुक्त जान-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जोन-07 जविप्रा, जयपुर



# जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा.7/2022/डी-340

दिनांक: 16/11/2023

## आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे /अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र स	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा,जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	रेखा यादव	आंवटन पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं है।	216	100.00	मित्र	एकता नगर-एस	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड
2	जयनारायण	जयनारायण	214	100.00	मोती भवन	हनुमान नगर विस्तार-बी द्वितीय	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड
3	सुमन कंवर	सुमन कंवर	129-ए	138.88	हसनपुरा-ए	सेवाराम नगर	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शपथ पत्र
4	गुल्लाराम यादव	भमरी देवी	64	153.2	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विक्रय पत्र
5	धन्नी यादव	धन्नी यादव	47	357.0	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाईट बिल


रामकिशोरव्यासभवन, इन्दिरासर्किल, जवाहरलालनेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष (0141-2560165) : ईपीबीएक्स-0141-2569696, एक्सटेंशन : 8240 फ़ैक्स : 91+141-257455

उपस्थित जान-7

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर



# जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

6	राजकुमार यादव	राजकुमार यादव	53-ए	167.3	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र , क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड
7	धन्नी देवी	धन्नी देवी	5	181.9	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र , क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाईट बिल
8	मनोज यादव	मनोज यादव	80-ए	181.8	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र , क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड
9	हुकुम सिंह	भीव सिंह	39	298.7	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र , क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, हकत्याग पत्र, विक्रय पत्र
10	मनोज यादव	मनोज यादव	74	178.3	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र , क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड
11	ग्यारसी देवी	प्रभू दयाल यादव	72	175.00	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र , क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, मृत्यू प्रमाण पत्र
12	सुरेश यादव	सुरेश यादव	77	127.1	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र , क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड
13	सुरेश यादव	सुरेश यादव	76	189.7	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र , क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड
14	दुर्गा देवी, रोहित यादव,	बाबूलाल लाल यादव	78	324.6	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र , क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, मृत्यू प्रमाण पत्र ,




# जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

	रवि यादव							पैन कार्ड
15	ग्यारसी देवी	नितिन यादव	81	221.6	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, मृत्यू प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, इकरार नामा
16	ग्यारसी देवी	प्रभू दयाल	73	175.00	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, मृत्यू प्रमाण पत्र
17	मनोज यादव	मनोज यादव	75	213.8	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड
18	ग्यारसी देवी	प्रभू दयाल	82	266.6	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, मृत्यू प्रमाण पत्र
19	दुर्गा देवी, रोहित यादव, रवि यादव	बाबूलाल लाल यादव	79	363.7	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, मृत्यू प्रमाण पत्र, पैन ककार्ड
20	मनोज यादव	नगेन्द्र सिंह	80	181.8	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड
21	विक्रम सिंह	मोहनलाल यादव	27-ए	184.3	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, विक्रय पत्र, लाईट बिल, पैन कार्ड
22	अशोक कुमावत	अशोक कुमावत	46	217.7	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र, पैन कार्ड

रामकिशोरव्यासभवन, इन्दिरासर्किल, जवाहरलालनेहरू मार्ग, जयपुर-302004  
दूरभाष (0141-2560165) : ईपीबीएक्स-0141-2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141-257455

उपस्थित जान-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर




# जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

23	तीजा देवी	तीजा देवी	65	124.30	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आवंटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र
24	सुनीता देवी	सुनीता देवी	49	200.6	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आवंटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड
25	बबीता कंवर	नन्द किशोर	27	184.3	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आवंटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र, विक्रय पत्र,
26	प्रदीप सिंह राठौड	रिछपाल सिंह	28-ए (ई.पी)	155.25	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आवंटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विक्रय पत्र
27	उछव कंवर	भीव सिंह	39	298.7	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आवंटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, विक्रय पत्र, हक त्याग पत्र
28	रामप्यारी देवी	राज कंवर	65	133.00	मित्र	एकता नगर-एस	लीजडीड	साईट प्लान, आवंटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड
29	मुलचंद	सुरेश कुमार शर्मा	27	161	मित्र	एकता नगर-एस	लीजडीड	साईट प्लान, आवंटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, विक्रय पत्र, शपथ पत्र
30	सुनीता देवी	कुन्दन लाल	259	111.11	बुनियादी विकास	हनुमान नगर	लीजडीड	साईट प्लान, आवंटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, विक्रय पत्र
31	दशरथ सिंह राजावत व अनुप कंवर	कालूराम	46	200.00	हथरोई गढी	जगदम्बा कॉलोनी	लीजडीड	साईट प्लान, आवंटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र
32	चन्दन कंवर, रीना शेखावत, देवाश राठौड	प्रेमचन्द्र	42		हथरोई गढी	जगदम्बा कॉलोनी	लीजडीड	साईट प्लान, आवंटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, लाईट बिल

रामकिशोरव्यासभवन, इन्दिरासर्किल, जवाहरलालनेहरू मार्ग, जयपुर-302004  
दूरभाष (0141-2560165) : ईपीबीएक्स-0141-2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141-257455

जनसुवा जान-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर



# जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

किर्ती राठौड							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

  
उपायुक्त जॉन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

जनसम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक ज.वि.प्रा./जोन-7/ 2022/डी-340

दिनांक-16/2/2023

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-10  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102411

दिनांक: 16/02/2023

**लोक सूचना**

श्रीमति RUPINDER KAUR SANDHU पत्नी श्री GURDIAL SINGH SANDHU जाति SIKH निवासी 5/15, S F S AGARWAL FARM, MANSAROVAR, JAIPUR 302020


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	टोडी रमजानीपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RUPINDER KAUR SANDHU	388/76	0	0.05
2.	टोडी रमजानीपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RUPINDER KAUR SANDHU	387/77	0	0.0015
3.	टोडी रमजानीपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RUPINDER KAUR SANDHU	388/64	0	0.01
4.	टोडी रमजानीपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RUPINDER KAUR SANDHU	389/65	0	0.17
5.	टोडी रमजानीपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RUPINDER KAUR SANDHU	390/66	0	0.08
<b>कुल</b>					<b>0.3115</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो यह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना भू-राजस्व और नगर के अधीन आज 16-02-2023 को जारी की गयी।

  
 प्राधिकृत अधिकारी जोन-10  
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यह

रत

पुर।